अनुलग्नक –ए

वित्त वर्ष 2021–22 हेतु सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखाः–

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी ने सीएसआर नीति तैयार की है और इसे लागू किया गया है। सभी मुख्य स्टेकहोल्डरों के हितों का ध्यान रखते हुए कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्यों के तहत सतत् विकास तथा नैतिक मूल्यों को शामिल करते हुए अधिकतम लाभ की दृष्टि से लंबी अवधि की नीतियों पर कार्य कर रही है। सीएसआर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों का चयन करते समय तथा सीएसआर गतिविधियों एवं योजना बनाते समय नीति अनुसार निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाता है। सीएसआर क्रियान्वयन के प्रबंधकीय ढॉचे में एक बोर्ड स्तर की सीएसआर कमेटी, सीएसआर के लिए नोडल अधिकारी, योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी हेतु परियोजना प्रमुख तथा उनकी टीम शामिल है। नीति में प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकीय ढॉचे में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। जो गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल–VII के अंतर्गत आती हैं उन्हें कंपनी द्वारा किया जायेगा तथा कंपनी अधिनियम 2013 के सैक्शन–135 के सब–सैक्शन (5) में वर्णित मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट कोष आवंटित किये जाने की नीति बनाई गई है। कंपनी के निगमीय सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित कार्य सीएसआर नीति के अनुसार किए गए हैं।

<u>सीएसआर के अन्तर्गत किए गए कार्यः–</u>

सीएसआर कार्य जैसे मध्य प्रदेश के हरदा में चिचोट स्थित वैदिक विद्यापीठम् हेतु सोलर पॉवर प्लांट का संस्थापन, मध्य प्रदेश के इटारसी में कन्या छात्रावास का निर्माण, शारदा विहार परिसर, केरवा डैम रोड, भोपाल में कौशल सम्मेलन केन्द्र का विकास कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय विद्यालय नर्मदा नगर जिला–खण्डवा के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय सहायता, निराश्रित और समाज के निराश्रित एवं वंचित वर्ग के तहत् परियोजना–अस्पतालों के ओपीडी में स्थानीय लोगों को दवाईयों का वितरण एवं उपचार उपलब्ध कराना, चिकित्सा शिविरों का आयोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण एवं अन्य सुविधाओं का प्रबंध, कोविड–19 के बचाव हेतु नगर निगम इंदौर को आक्सीजन सिलेण्डर प्रदाय हेतु वित्तीय सहायता, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर को आक्सीजन सिलेण्डर, एम्बुलेंस एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता, शासकीय मेडिकल कॉलेज, खण्डवा को एयर सेप्रेशन यूनिट एवं आक्सीजन सिलेण्डर प्रदाय हेतु वित्तीय सहायता, शासकीय चरक अस्पताल, उज्जैन को 04 नग वेन्टीलेटर प्रदाय हेतु वित्तीय सहायता, जिला चिकित्सालय खण्डवा में आक्सीजन कन्सनट्रेटर का प्रदाय, स्वास्थ्य केन्द्र, ओंकारेश्वर, जिला–खण्डवा में एम्बुलेंस का प्रदाय, महामारी कोविड–19 के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता शिविर और अन्य शमन उपायो को प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता, खण्डवा जिले के इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना के आस–पास गाँवों को पीने योग्य शुद्ध जल की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता, पी.एम. केयर फण्ड में योगदान इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में से हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः– (वित्तीय वर्ष 2021–22):

क. स.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया	31.03.2022 की स्थिति में (सक्रिय/समाप्त)
1	श्री आर.पी. मालवीय	समिति के अध्यक्ष	3	3	सकिय
2	श्री वी. के. सिन्हा	प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड–सदस्य	1	1	सकिय
3	श्री अरूण डागा	निदेशक–सदस्य	3	3	सकिय
4	श्रीमती मधुस्मिता पाणी	निदेशक–सदस्य	1	1	सकिय
5	श्री हरीश कुमार	प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड–सदस्य	2	2	समाप्त
6	श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव	निदेशक–सदस्य	2	2	समाप्त

नोटः 1. वित्तीय वर्ष 2021–22 में सीएसआर समिति की तीन बैठके दिनांक 24 मई 2021, 25 अगस्त 2021 एवं 03 फरवरी 2022 को सम्पन्न हुई।

2. श्री विजय कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक और श्रीमती मधुस्मिता पाणी, निदेशक एनएचडीसी लिमिटेड को सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में 11.10. 2021 से शामिल किया गया।

3. वेब लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेब साईट पर प्रकट की गई हैः–

   कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक जहां सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया हैः

   https://www.nhdcindia.com/PDF/CSR_Comm21.pdf

   कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक जहां सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया हैः
   https://www.nhdcindia.com/PDF/CSR_POLICY%20REVISION-I.pdf

   कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रोजेक्ट प्रकट किया गया हैः

   https://www.nhdcindia.com/PDF/CSR_Project_apprd FY 2022-23.pdf

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):–

   कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में 22 जनवरी, 2021 या उसके बाद पूर्ण होने पर शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। पात्र परियोजनाओं की रिपोर्ट अंतिम रूप देने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी और अपलोड की जाएगी।

   हालांकि सुशासन प्रथाओं के रूप में, एनएचडीसी ने पिछले वर्षों का प्रभाव मूल्यांकन किया गया है, जो कि वेब लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध/प्रकट किया गया हैः

https://www.nhpcindia.com/PDF/Impact_Assessment_Study_Report.pdf और उसका कार्यकारी सारांश सीएसआर की इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में मुजरे (सेट आफ) के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे (सेट आफ) हेतु उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे (सेट आफ) हेतु आवश्यक राशि
1	2021–22	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः ₹ 92735 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी की औसत शुद्ध लाभ को दो प्रतिशत : ₹ 1855 लाख

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष : 0.00

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : 0.00

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख–7ग) : ₹ 1855 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (₹ लाख)	खर्च न की गई राशि (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची– VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (₹ लाख)	अंतरण की तारीख
1991*	0.00	लागू नहीं	PMCARES Fund	391	29.04.2022

*वित्त वर्ष 2021–22 में सीएसआर गतिविधियों हेतु अनुमोदित बजट ₹ 1991 लाख है एवं इन सीएसआर गतिविधियों हेतु निर्धारित व्यय राशि ₹ 1855 लाख (विगत 03 वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत) की तुलना में कुल ₹1991 लाख का व्यय किया गया।

(ख) वित्तीय वर्ष (2021–22) के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योराः–निरंक

(ग) वित्तीय वर्ष (2021–22) के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः अनुलग्नक–1 के अनुसारः (राशि ₹ 1885 लाख)

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशिः ₹ 94 लाख

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः ₹12 लाख

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ड़) के लिए खर्च की गई कुल राशिः ₹ 1991 लाख

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशिः

क.स.	विशिष्टी	रकम (रूपये लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	1855
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	1991*
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	136 **
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	0.00
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	0.00

*वित्त वर्ष 2021–22 में सीएसआर गतिविधियों हेतु अनुमोदित बजट ₹ 1991 लाख है एवं इन सीएसआर गतिविधियों हेतु निर्धारित व्यय राशि ₹1855 लाख (विगत 03 वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत) की तुलना में कुल ₹ 1991 लाख का व्यय किया गया।

** अतिरिक्त राशि रूपये 136 लाख वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खर्च किए गए जोकि पिछले सीएसआर बजट (वित्त वर्ष 2014–15 से पहले संचित) किया गया है।

9.(क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्योराः–

क. स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये लाख में)	रिपोटिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपये लाख में)	धारा 135(6) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची–VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी विधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रूपये लाख में)
				निधि का नाम	राशि (रूपये लाख में)	अंतरण की तारीख	
1	2020–21	0.00	1975	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं
2	2019–20	0.00	2558	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2018–19	0.00	3040	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल		7573				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए, विगत वर्ष/वर्षों से जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योराः– निरंक

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजन अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति–वार–ब्यौरा)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख –निरंक

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि –निरंक

(ग) उस कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि –निरंक

(घ) सृजन अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित) –निरंक

11. कारण(णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई होः लागू नहीं

हस्ता/– (विजय कुमार सिन्हा) प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड	हस्ता/– (आर. पी. मालवीय) अध्यक्ष सीएसआर समिति

अनुलग्नक–1

8.(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5		6	7	8	
क. स.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची– VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		व्यय की गई राशि (रूपये लाख में)	कार्यान्वयन की रीति–सीधे (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिट्रीकरण संख्या
1	इटारसी में सेवा भारती कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।	शिक्षा	नहीं	म.प्र.	नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	60.30	नहीं	सेवा भारती मध्यभारत	सीएसआर 00003949
2	हरदा के वैदिक विद्यापीठम में 08 ब्लॉक तथा सभागार (ऑडिटोरियम) के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।	शिक्षा	हां	म.प्र.	हरदा	4.21	नहीं	स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति	सीएसआर 00006643
3	शारदा विहार परिसर, केरवा डैम रोड, भोपाल में कौशल सम्मेलन केन्द्र के विकास कार्य हेतु वित्तीय सहायता।	शिक्षा	हां	म.प्र.	भोपाल	67.24	नहीं	शारदा विहार, भोपाल	सीएसआर 00006880
4	सोलर पॉवर प्लांट के स्थापना के लिए वैदिक विद्यापीठम, चिचोट, जिला–हरदा को वित्तीय सहायता।	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	हां	म.प्र.	हरदा	76.26	नहीं	स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति	सीएसआर 00006643
5	नगर निगम, इंदौर को 500 नग नवीन आक्सीजन सिलेन्डर क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	म.प्र.	इंदौर	25.65	नहीं	नगर निगम, इंदौर	सीएसआर 00009654
6	शासकीय महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर को 348 नग आक्सीजन सिलेण्डर एवं 18 नग इलेक्ट्रानिक यूनिचैनल/मल्टीचैनल पिपेट्स क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	म.प्र.	इंदौर	77.68	नहीं	महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोसायटी, इंदौर	सीएसआर 00009501

7	शासकीय महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर को 01 नम्बर एम्बुलेंस, मेडिकल इक्यूपमेन्ट (चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय से संबंध) एवं ब्लैक फंगस की दवाईया (महाराज यशवंत राव अस्पताल हेतु) क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	म.प्र.	इंदौर	71.92	नहीं	महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोसायटी, इंदौर	सीएसआर 00009501
8	शासकीय मेडिकल कॉलेज, खण्डवा में 1 नग एयर सेप्रेशन यूनिट एवं 300 नग आक्सीजन सिलेण्डर (डी–टाईप) क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	म.प्र.	खण्डवा	150.00	नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा	सीएसआर 000019249
9	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी को शासकीय चरक अस्पताल, उज्जैन के लिए 04 नग वेन्टीलेटर क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	नहीं	म.प्र.	उज्जैन	27.16	नहीं	रेड क्रास सोसाइटी, उज्जैन	सीएसआर 00008070
10	प्रेरणा सेवा ट्रस्ट, भोपाल को रोटी बनाने वाली मशीन के क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	म.प्र.	भोपाल	2.00	नहीं	प्रेरणा सेवा ट्रस्ट, भोपाल	सीएसआर 000014655
11	पीएम केयर्स फंड में योगदान (01.04.2014 से पूर्व की अप्रयुक्त राशि)।	स्वास्थ्य सुरक्षा	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	136.64	नहीं	पीएम केयर्स फंड	–
12	आकांक्षीय जिला–खण्डवा में कनेरी धाम, जयंती माता मंदिर में सार्वजनिक सुविधा प्रदान करना।	ग्रामीण विकास	हां	म.प्र.	खण्डवा	25.84	हां	–	–
13	नर्मदानगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में संस्थान का संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य (विद्युत बिल एवं जलआपूर्ति सहित)।	शिक्षा, कौशल विकास	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	158.57	हां	–	–
14	स्थानीय, परियोजना प्रभावित महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सिलाई का प्रशिक्षण देने के लिए सिलाई केन्द्र को वित्तीय सहायता।	शिक्षा, कौशल विकास	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	8.06	नहीं	इंदिरा सागर महिला मंडल	सीएसआर 00015837
15	केन्द्रीय विद्यालय, नर्मदानगर को वित्तीय सहायता।	शिक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	164.16	हां	–	–

16	स्थानीय क्षेत्र में वार्षिक चिकित्सा शिविर के दौरान दिव्यांग लोगों को दवाईयों व कैलीपर्स का निःशुल्क वितरण।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	2.99	नहीं	मानव समिति सनावद	सीएसआर 00015950
17	इंदिरा सागर परियोजना अस्पताल के ओपीडी में आम बाह्य मरीजों को निःशुल्क दवाईयों का वितरण एवं परियोजना अस्पताल हेतु अन्य सीएसआर कार्यों का व्यय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	27.93	हां	–	–
18	इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन के समीप के स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए इनवर्टर की बैटरी क्रय करना।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	1.95	हां	–	–
19	सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र (कोविड सेंटर) मूँदी के लिए पीपीई किट एवं एलईडी टीवी (सेटअप बाक्स सहित) प्रदाय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	1.83	हां	–	–
20	महामारी कोविड–19 के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता शिविर और अन्य शमन उपायो को प्रेरित करने के लिए वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	2.68	हां	–	–
21	इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन, नर्मदानगर में स्थित शासकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन का सुधार कार्य एवं चिकित्सकीय उपकरण क्रय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	6.35	हां	–	–
22	इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन के समीप स्थित शासकीय स्कूलों में फर्नीचर का प्रदाय।	शिक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	13.30	हां	–	–
23	नर्मदानगर में स्थित शासकीय बालिका प्राथमिक शाला में फर्नीचर का प्रदाय।	शिक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	3.29	हां	–	–
24	नर्मदानगर में स्थित परमहंस आश्रम एवं फिल्टर प्लांट के समीप नर्मदा नदी पर घाट का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	म.प्र.	खण्डवा	18.27	हां	–	–
25	नर्मदानगर में शांति धाम/मुक्ति धाम का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	म.प्र.	खण्डवा	4.50	हां	–	–
26	जिला चिकित्सालय खण्डवा में 10 नग आक्सीजन (10 ली. प्रति मिनिट क्षमता) कन्सनट्रेटर का प्रदाय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	4.98	हां	–	–

27	स्वास्थ्य केन्द्र, ओंकारेश्वर जिला–खण्डवा में एम्बुलेंस का प्रदाय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	14.95	हां	–	–
28	ओंकारेश्वर परियोजना अस्पताल के ओपीडी में आम बाह्य मरीजों को निःशुल्क दवाईयों का वितरण एवं परियोजना अस्पताल हेतु अन्य सीएसआर कार्यों का व्यय।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	15.96	हां	–	–
29	ओंकारेश्वर पॉवर स्टेशन के समीप केन्द्रीय विद्यालय बड़वाह में 02 वाटर कूलर का वितरण।	स्वास्थ्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	0.73	हां	–	–
30	ओंकारेश्वर पावर स्टेशन के समीप स्थानीय क्षेत्रों के लिए 05 नग हाइड्रोलिक बेड गद्दे सहित, सेलाइन स्टैण्ड, स्टूल, 05 नग आईसीयू बेड एवं 02 नग इनफ्यूजन पम्प, ईसीजी मशीन प्रदाय एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री इत्यादि एवं कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सेनिटाइजेशन, मास्क, साबुन इत्यादि का वितरण तथा जागरूकता अभियान।	स्वास्थ्य सुरक्षा	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	5.92	हां	–	–
31	इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर पॉवर स्टेशन के समीप स्थित गांवों व पार्कों को जलापूर्ति हेतु वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हां	(म.प्र.)	खण्डवा	312.94	नहीं	नगर पंचायत छनेरा एवं सीईओ, जिला पंचायत खंडवा	सीएसआर 000013214 सीएसआर 000019249
32	पीएम केयर्स फंड में योगदान। (वर्ष 2021–22 की अप्रयुक्त राशि)	पीएम केयर्स / स्वास्थ्य सुरक्षा	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	390.74	नहीं	पीएम केयर फंड	–
					कुल	1885			